बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

आदेश

संचिका संख्या–10/मु०–280/2025 ..... दिनांक–.....

1. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या–20162/2025 ज्ञानेन्द्र कुमार झा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–16.12.2025 को पारित आदेश के आलोक में यह आदेश संसूचित किया जा रहा है।

2. याचिका संख्या–20162/2025 में दिनांक–16.12.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा निम्नवत् कार्यकारी आदेश पारित किया गया है:–

"6. Considering the limited nature of prayer being made by learned counsel for the petitioner, the present writ application is disposed of granting liberty to the petitioner to file a detailed representation before the Special Director, Department of Education, Bihar, Patna (respondent no.4) within one month from the date of passing of this order and if such a representation is filed, the Special Director, Department of Education, Bihar, Patna shall dispose of the same within a period of six months from the date of filing of the representation, after giving an opportunity of hearing to the petitioner. Needless to emphasize that the final order which shall be passed by the Special Director, Department of Education, Bihar, Patna should be a reasoned and speaking order."

3. उक्त पारित आदेश के आलोक में वादी के दावों पर विचारण हेतु दिनांक दिनांक–26.02.2026 को सुनवाई की गई। सुनवाई में वादी की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं अपने दावों से संबंधित अभ्यावेदन एवं अपने पत्र समर्पित किए।

4. सुनवाई के क्रम में वादी के अधिवक्ता द्वारा बिहार राज्य अराजकीय संस्कृत विद्यालय सेवा शर्त नियमावली 1976 के अध्याय 5 का उल्लेख करते हुए उन्होने अभिकथित किया कि उक्त नियमावली की धारा–2 में प्रावधान है कि पूरे पंचांग वर्ष की कार्य अवधि में प्रति वर्ष प्रत्येक शिक्षक और कर्मचारी पूर्ण वेतन पर तीन दिन उपार्जित अवकाश अर्जित करेगा। यह अवकाश तीन वर्षो से कम की सेवा पर अनुमान्य नही होगा। यह अवकाश एक सौ बीस दिन के अधिक–अधिक होने पर व्ययगत समझा जायेगा। उन्होने अपने पक्ष मे यह भी कहा की समानता के सिद्धान्त के अनुरूप राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षक–कर्मियों की भॉति अराजकीय प्रस्वीकृत 429/531 कोटि के संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों कर्मियों को भी अनुमान्य अर्जितावकाश में समानता लाये जाने के फलस्वरूप उपार्जित अवकाश के संचयन की सीमा भी राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंखयक विद्यालय के शिक्षक–कर्मियों के समान क्रमशः 180/240/300 दिन स्वतः अनुमान्य है।

5. वादी के अधिवक्ता द्वारा समानता के सिद्धान्त पर राज्य के अन्य कर्मियों के भाँति अराजकीय प्रस्वकृत 531 संस्कृत विद्यायलों 1128 मदरसों के सेवानिवृत/शिक्षक–कर्मियों को भी अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य बकाये वेतन के भुगतान का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

6. बिहार राज्य अराजकीय प्रस्वकृत संस्कृत (मध्यमा स्तर तक) विद्यालय के शिक्षकों की सेवा शर्त नियामावली 2015 के नियम 14 (ii) में प्रावधान है कि पूरे पंचांग वर्ष के कार्य अवधि में प्रतिवर्ष प्रत्येक शिक्षक पूर्ण वेतन पर तीन दिन उपार्जित अवकाश अर्जित कर सकेगा यह अवकाश तीन वर्षों से कम की सेवा पर अनुमान्य नही होगा। यह अवकाश 120 दिनों के अधिक अर्जित होने पर व्ययगत समझा जायेगा।

7. बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा (मौलवी स्तर तक) शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारी (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियामावली 2022 के नियम 14 (ii) (क) में प्रवधान किया गया है कि मदरसा का प्रत्येक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी हर केलेण्डर वर्ष के लिए तीन (03) दिनों की छुट्टी अर्जित कर सकेगा। हर कैलेण्डर वर्ष के कार्य अवधि में मदरसा के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी अवकाश अर्जित कर सकेगें जिसकी अधिकत्तम संख्या 120 दिनों की होगी। 120 दिनों से अधिक अर्जित छुट्टी स्वतः समाप्त हो जायेगी।

8. आवेदक ने अपने अभ्यावेदन में उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य राशि की मांग किया है। उक्त मांग का आधार शिक्षा विभाग द्वारा संकल्प संख्या–237 दिनांक 20.02.1990 निर्गत किये जाने का उल्लेख है। साथ ही आवेदक ने अपने दावे के समर्थन में माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायादेशों का उल्लेख किया है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगित होगा कि राज्य सरकार ने संकल्प संख्या–237 दिनांक 20.02.1990 द्वारा अराजकीय मान्यता प्राप्त अनुदानित संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों एवं अल्पसंख्यक विद्यालय के कर्मियों को राजकीय विद्यालयों के कर्मियों की भांति सेवानिवृति लाभ इत्यादि दिये जाने का प्रावधान किया गया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–893 दिनांक 08.11.1990 द्वारा संकल्प संख्या–237 दिनांक 20.02.1990 को संशोधित करते हुए उक्त लाभ को केवल अल्पसंख्यक विद्यालयों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अपने न्याय निर्णय L.P.A. No–43/2016 बैद्यनाथ झा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 13.08.2019 में इस संदर्भ का उल्लेख किया गया है। जहाँ तक आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में पारित किये गये न्यायादेशों का उल्लेख है, वे सारे न्यायादेश या तो सामान्य विद्यालयों या अल्पसंख्यक विद्यालयों से संबंधित है जो अराजकीय मान्यता प्राप्त अनुदानित संस्कृत एवं मदरसों से पूर्णतः भिन्न है।

9. विभागीय संकल्प संख्या–237 दिनांक–07.03.2019 के कंडिका 5 (च) में प्रावधान है कि राजकीय प्रस्वीकृत 1128 मदरसा एवं 531 संस्कृत विद्यालयों के कर्मियों को षष्टम् पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन (वेतन एवं ग्रेड पे) एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता ही देय था। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार की कोई भत्ते/वित्तीय सुविधा हेतु अनुदान अनुमान्य नहीं था। सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त कर्मियों को उनके लिये प्रयोज्य लेवल का निर्धारित वेतन के साथ स्वीकृत महंगाई भत्ता हीं भुगतेय होगा, इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का कोई भत्ता अथवा वित्तीय सुविधा हेतु अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।

10. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल.पी.ए. 43/2016 में दिनांक 13.08.2019 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"----------We, however, bearing note of the Constitution Bench judgment of the Supreme Court rendered in the case of Krishna Kumar Singh (supra) are not persuaded to allow the payment of superannuation benefits to these teaching and non-teaching staffs in these schools because they are employees of the schools which are run by the private managing committees and thus cannot be held government employees for such admissibility. To such extent we refuse the relief of superannuation benefits for the retired employees of the schools for they do not acquire the status of a government employee and the relief that we have allowed is strictly limited to therevision of pay-scales under the 5th and 6th Pay Revisions together with the dearness allowance admissible thereon.----- --------"

11. उर्पयुक्त के विवेचन से स्पष्ट है कि चूंकि वादी राज्य के सरकारी कर्मी नहीं हैं। उनकी सेवा शर्त नियामावली में अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगदीकरण का कोई प्रावधान नहीं है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल.पी.ए. 43/2016 (बैद्यनाथ झा बनाम राज्य सरकार) में पारित न्यायादेश द्वारा भी इन विद्यालयों के सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति लाभ देय नहीं होना निर्धारित किया गया है।

12. विभागीय संकल्प संख्या–1204 दिनांक 01.08.2023 के द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत अराजकीय प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के कर्मियों को पंचम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 01.03.1989 के प्रभाव से एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 01.04.2007 के प्रभाव से तद्नुसार अनुमान्य अंतर वेतनादि का लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

13. चूंकि पंचम एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। जिसके अंतर्गत सभी योग्य लाभुकों को पंचम एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदेय है। वादी निजी प्रबंधन समिति द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हैं। अतः वर्णित स्थिति में वादी को बिहार सरकार के सरकारी शिक्षकों की भांति अन्य लाभ दिये जाने का दावा अनुमान्य नहीं है।

14. जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिवहर इस आदेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय आदेश संख्या–230 दिनांक 05.02.2024 द्वारा गठित पूर्व अंकेक्षण कोषांग (Pre Audit Cell) से सेवापुस्त/निर्धारित वेतन/विपत्र का सत्यापन कराकर वादी को पंचम् एवं षष्टम् वेतन पुनरीक्षण की अंतर वेतनादि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

अतः विचारोपरान्त वादी के दावों को खारिज किया जाता है।

इसके साथ ही इस मामले को निष्तारित किया जाता हैं।

20.3.26

(सचिन्द्र कुमार)
विशेष निदेशक (मा0 शि0)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–10/मु०–280/2025 740 पटना, दिनांक– 20-3-26

प्रतिलिपिः– Jyanendra Kumar Jha, Son of Late Umesh Chandra Jha, Resident of Village-Sugiya Katsari, Ward No. 13, P.S.-Sheohar, District- Sheohar./ सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), शिवहर/आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.3.2026

विशेष निदेशक (मा0 शि0)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।